पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 201/2025

उनवान :

सन्दीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

:— वादी

**बनाम**

1. ताराचन्द पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री ताराचन्द पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. राममूर्ति पुत्री ताराचन्द पत्नी गोरधन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. धापादेवी पुत्री ताराचंद पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. कमलेश पुत्री ताराचंद पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
6. सुरेश पुत्री ताराचन्द पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
7. मोहित कुमार पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
8. रोहित पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणतपुरा के खाता सं0 112/28 के ख0सं0 116 की 19.7400 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सन्दीप कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प इत्यादि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। ख[illegible] अपना रहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री निधि उड़सरिया आरएएस**

प्रकरण सं0 : 201/2025

उनवान :

सन्दीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

:— वादी

**बनाम**

1. ताराचन्द पुत्र मनफूल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री ताराचन्द पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. राममूर्ति पुत्री ताराचन्द पत्नी गोरधन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. धापादेवी पुत्री ताराचंद पत्नी बंशीलाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
5. कमलेश पुत्री ताराचंद पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर हाल माखोसरानी तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
6. सुरेश पुत्री ताराचन्द पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
7. मोहित कुमार पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
8. रोहित पुत्र बलवान सिंह जाति जाट निवासी भांगवा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनिवालः **प्रतिवादी सं0 1 ता 8**

**दिनांक :** 13.10.25

**निर्णय**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा हुणतपुरा के खाता सं0 112/28 के ख0सं0 116 की 19.7400 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा मनफूल की खातेदारी हुआ करती थी जो मनफूल के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 9 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकीयात की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सन्दीप कुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा हुनवन्तपुरा जमाबंदी संवत 2076—79 खाता संख्या 112/28 प्रदर्श 1, जमाबदी रोही मौजा हुनवन्तपुरा जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

त 2064–2066 खाता संख्या 31/28 प्रदर्श 2, जमाबंदी संवत 2070–73 रोही मौजा लकी जाटान खाता संख्या 44/54 प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत 2070–73 रोही मौजा ढिलकी टान खाता संख्या 42/53 प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2070–73 रोही मौजा ढिलकी जाटान ता संख्या 43/50 प्रदर्श 5, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान प्रदर्श 6 र्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए थन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं तिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व कार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस कार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी क्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत स्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम हुनवन्तपुरा राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद श किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा हुणतपुरा के खाता सं0 112/28 के ख0सं0 116 ी 19.7400 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व कार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द का नाम कलमजन किया ाकर वादी सन्दीप कुमार को खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने पना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक ाजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## <u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणतपुरा के खाता सं0 112/28 के ख0सं0 116 की 19.7400 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ताराचन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी सन्दीप कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

Nidhi

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़